274

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0

निग-1780-I-16

प्रकरण क्रमांक **दो/2016/निगरानी**

1. संतोषसिंह
2. नारायणसिंह पुत्रगण मूलचन्द्र मालवी निवासी ग्राम चक्क रघुनाथपुर तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0

दिनांक 3-6-16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत / 3-6-16

विरूद्ध ----------आवेदकगण

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीसिंह
2. सचिन कुमार पुत्र देवीसिंह
3. रविकुमार नाबालिंग पुत्र श्री देवीसिंह

जर्ये सरपरस्त मां श्रीमती शकुनबाई पत्नि देवीसिंह

समस्त जाति मालवीय निवासीगण ग्राम चक्क रधुनाथपुर तहसील

गुलाबगंज जिला विदिशा

4. सोमतसिंह
5. दिमानसिंह
6. बाबूलाल
7. विनोद
8. देवीसिंह

सभी पुत्रगण श्री मूलचंद मालवीय

निवासी ग्राम चक्क रधुनाथपुर तहसील

गुलाबगंज जिला विदिशा

3.6.16

-------- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1780–I/2016 जिला–विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
23.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित. अनावेदक 1, 2, 3 एवं 8 की ओर से श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता एवं शेष की और से श्री एस0 के0 जैन अधिवक्ता उपस्थित. उभयपक्षो के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये. 2–यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 95/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–05–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है . 3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम रघुनाथपुर तहसील ग्यारसपुर टप्पा गुलाबगंज की नामान्तरण पंजी कमांक–15 पर किये गये बंटवारा आदेश दिनांक 3–11–1995 के विरूद्ध आवेदक संतोष सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर द्वारा उक्त अपील को प्रकरण कमांक 22/2006–07 पर पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 7–9–2012 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवायी एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया. उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी. अपर आयुक्त द्वारा उक्त अपील को स्वीकार	

करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया. अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

4. आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि ग्राम चक्क रघुनाथपुर स्थित कृषि खाते आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 लगायत 8 है उक्त खाते की वटवारे की कार्यवाही में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 15 पर बंटवारा प्रविष्टि दर्ज की जाकर उसे तहसीलदार ग्यारसपुर के समक्ष आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–11–1995 को आदेश पारित करते हुये पृथक–पृथक खाता कायम करने क आदेश दिये गये वटवारा आदेशानुसार उत्तरवादी कमांक 1, 2, एवं 3 का नाम भी समान भाग पर सम्मिलित कर लिया गया, जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति उठायी गयी कि प्रश्नाधीन भूमि के खातेदार आवेदक एवं अनावेदक 4 लगायत 8 है. अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम अवैधानिक रूप से बिना किसी आधार के खाते में शामिल कर दिया गया है। अतः उक्त बंटवारा आदेश को विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाये. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा उनके समक्ष उठाये गये आधारों पर विस्तृत विवेचना करने के उपरान्त तहसील न्याालय के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह प्रकरण के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात करते हुये संहिता की धारा 178 के प्रावधानो के अन्तर्गत गुणदोषो पर आदेश पारित करें. अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु जो आधार अपने आदेश में दिया है वह पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है. अपर आयुक्त ने

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसील आदेश सहमति पर आधारित था एवं अंसयोजन का दोष होना माना है अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को समझने में भूल की है. अनुविभागीय अधिकारी ने देवीसिंह के वारिस अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 3 को मूलचन्द के परिवार का सदस्य न होना निर्धारित किया गया था. खाता भूमि में भी उनका नाम सम्मिलित नही किया गया है. तहसील न्यायालय ने सभी सह खातेदारों को व्यक्तिशः को सूचना नही दी गयी और न ही उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया. आवेदकगण के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है. सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का अवसर प्राप्त है. उपरोक्त तर्को के आधार पर उन्होने पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया.

5. अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 3 एवं 8 के अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि तहसील की कार्यवाही विधि संगत थी जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग किया है. जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है अतः निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया जाये.

6. शेष अनावेदको के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त के निर्णय को निरस्त करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को बहाल करने का निवेदन किया.

7. उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन एवं मनन किया जिससे यह तथ्य सर्वप्रथम मे समक्ष उत्पन्न होता है कि क्या नामान्तरण पंजी पर बंटवारे की कार्यवाही की

जाना उचित है, तथा क्या तहसील न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारों को व्यक्तिशः सूचना दी गयी है. इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की और से पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की अपील को समयावधि के निर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण कमांक 969–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 28–12–2011 में यह माना है कि आवेदक कमांक 1 सहित अन्य किसी सहखातेदार के हस्ताक्षर नही है, और न ही तहसील न्यायालय के प्रकरण में इश्तहार संलग्न है और न ही फर्द बटवारा संलग्न है इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित करना विधि अनुकुल नही है. इस आधार पर अनावेदक के पुनरीक्षण आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था. उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी है. ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में की व्याख्या आबद्धकारी है. प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में सभी सहखातेदारों को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हे कोई व्यक्तिगतः सूचना दी गयी है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना करने के उपरान्त प्रकरण उभय पक्षों को सुनवायी का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिससे सभी पक्षों को अपना पक्ष समर्थन करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है. अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु एवं राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश को अनदेखा किया जाना प्रतीत होता है. इसलिये अपर आयुक्त का आदेश न्यायोचित नही कहा जा सकता है.

8.उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अपील प्रकरण कमांक 95/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–05–2016 विधि सम्मत न होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा द्वारा अपील प्रकरण कमांक 22/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 07–09–2012 बहाल किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अनुसार तहसील न्यायालय सभी पक्षों को व्यक्तिशः सूचना एंव सुनवायी एवं साक्ष्य आदि को अवसर प्रदान कर संहिता की धारा –178 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन कर प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करें.

यह निगरानी स्वीकार की जाती है. उभय पक्ष सूचित हो. अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये. तदोपरान्त प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य